भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2422

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कोयला का आयात

2422. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि होने तथा 12 मार्च, 2026 तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पास 122.46 मीट्रिक टन का बड़ा भंडार उपलब्ध होने के बावजूद कुछ घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा कोयला आयात जारी रखने के कारणों की जांच की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या ऐसे आयात विशिष्ट ग्रेड की आवश्यकता, सम्मिश्रण आवश्यकता, संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं अथवा गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण किए जा रहे हैं; और

(घ) गैर-कोकिंग कोयले के परिहार्य आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क), (ख) और (ग): देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी कोयला उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले का आयात मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के थर्मल कोयले जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसकी घरेलू उपलब्धता दुर्लभ भंडार या गैर-उपलब्धता के कारण सीमित है।

इसके अलावा, आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्रों, जिन्हें आयातित कोयले पर प्रचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत

संयंत्रों द्वारा सम्मिश्रण आवश्यकताओं के लिए, जहां कहीं तकनीकी या प्रचालनात्मक रूप से आवश्यक हो, सहित विशिष्ट मामलों में आयात जारी रहता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2026-27 (अप्रैल-जून, 2026) के दौरान देश में सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए डीसीबी विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किया गया कोयला निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	**घरेलू कोयला आधारित संयंत्र (डीसीबी)**
2023-24	23.9
2024-25	14.0
2025-26	6.8
2026-27 (अप्रैल-जून, 2026)	1.7

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट हो सकता है, सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए डीसीबी विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात वर्ष 2023-24 में 23.9 मिलियन टन से घटकर 2025-26 में 6.8 मिलियन टन हो गया है, जो तीन वर्षों की अवधि में 71.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है।

इसके अलावा, खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) नीति के तहत कोयले के आयात की अनुमति है। तदनुसार, विद्युत संयंत्र अपनी तकनीकी और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ): सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कोयले के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न नीतिगत पहलें की हैं -

i. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है।

iii. वर्ष 2026 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से, एनआरएस लिंकेज नीलामी में उप-क्षेत्र "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस के उत्पादन'' से कोयला लिंकेज की अवधि को संशोधित करके 30 वर्ष तक किया गया है।

iv. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तर कुछ भी हो।

v. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयला का उपयोग करते हुए इस्पात' सृजित किया गया है।

vi. कोकिंग कोयला के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयला की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोयला मिशन शुरू किया गया है, जिसमें कोकिंग कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले की गई हैं।

vii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

viii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले का 100 प्रतिशत खरीदने के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

ix. गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत हाल ही में सृजित कोलसेतु विंडो के तहत कोयला वाशरीज के लिए कोयला लिंकेज की अनुमति दी गई है।

*****